न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर,टोंक

प्रकरण संख्या 123/2025

श्री राजेश कुमार शर्मा निवासी राघव किराना स्टोर सिंदरा दरवाजा के पास ग्राम झिलाय तहसील निवाई जिला टोंक राज. ——अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई ——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 4.02.2026**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई को आवेदन पत्र दिनांक 10.11.2025 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

1. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, टोंक के पत्र क्रमांक 1365 दिनांक 15.04.2025 एवं श्रीमान उपखंड अधिकारी, निवाई के पत्र क्रमांक राजस्व/2025/3969 दिनांक 17.04.2025, जो कि श्रीमान उपखंड अधिकारी द्वारा तहसीलदार निवाई को लिखा गया था, उन पत्रों में निवाई से बोली रोड (SH–117) की तहसील क्षेत्र निवाई की सीमा में विभाग द्वारा नियमानुसार तरमीम (संशोधन) करने हेतु लिखा गया था।
कृपया बताने का कष्ट करें कि उक्त पत्रों के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है, तथा उससे संबंधित दस्तावेजों/नोटशीट की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाई जाए।
2. दिनांक 17.04.2025 से तरमीम संबंधी कार्रवाई में कितना समय लगा, तथा क्या यह कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समय–सीमा (TAT) के अंतर्गत की गई थी? यदि नहीं, तो विलंब के कारणों का विवरण प्रदान किया जाए।
3. यदि राज्य सरकार द्वारा ऐसे प्रकरणों के निस्तारण हेतु कोई निश्चित समयावधि (TAT) निर्धारित की गई है, तो उसकी प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवा करवाई जाए।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई को पत्र कमांक 2475 दिनांक 29.12.2025 व 81 दिनांक 15.01.2026 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई ने पत्र कमांक 282 दिनांक 12.01.2026 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में पत्र क्रमांक 17562 दिनांक 18.11.2025 से सूचित किया गया है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(कल्पना अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

788